एवी-20036/528/2015-एडी अनुभाग–एमओसीए
366/409

एचआईएएल रियायत समझौते से संबंधित प्रत्यक्ष समझौता

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,

भारत सरकार

तथा

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

के मध्य

रियायत समझौते के संबंध में प्रत्यक्ष समझौता

29 नवम्बर, 2005

29 नवम्बर, 2005

रियायत अनुबंध हेतु प्रत्यक्ष अनुबंध- एचआईएएल

हम भारत सरकार और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) के मध्य दिनांक **20.12.2004** को निष्पादित रियायत अनुबंध (जिसे आगे "रियायत अनुबंध" कहा जाएगा) का संदर्भ लेते हैं।

रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी वित्तपोषण समझौतों (जैसा कि रियायत अनुबंध में परिभाषित है) में प्रवेश करने का प्रस्ताव करती है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित पक्षकारों (जैसा कि नीचे परिभाषित है) ने आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद के निकट शमशाबाद में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास हेतु कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

उक्त वित्तपोषण के लिए सुरक्षा के रूप में, एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि **आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड**, 10वीं मंजिल, नरीमन भवन, नरीमन पॉइंट, 227 विनय के. शाह मार्ग, मुंबई-400021, जो न्यासी (आगे "सुरक्षा न्यासी" कहा जाएगा) के रूप में कुछ बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों (आगे "ऋणदाता" कहा जाएगा) के हितार्थ कार्य करेगा, के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली सुरक्षा (आगे "सुरक्षा" कहा जाएगा) के अनुसार, कंपनी ने ऋणदाताओं के हित में सुरक्षा न्यासी के पक्ष में कंपनी की समस्त परिसंपत्तियों (आगे "संपार्श्विक" कहा जाएगा) पर प्रथम प्राथमिकता का सुरक्षा हित प्रदान किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रियायत अनुबंध भी सम्मिलित है, जो कंपनी पर देय सभी करों, दायित्वों, दंड, ब्याज तथा अन्य देय राशियों/उपकरों के अधीन होगा।

ऋणदाताओं तथा सुरक्षा न्यासी को संयुक्त रूप से आगे "**सुरक्षित पक्षकार**" कहा जाएगा।

कंपनी अनुरोध करती है कि इस स्वीकृति एवं सहमति (आगे "यह अनुबंध") की संलग्न प्रति पर हस्ताक्षर कर उसे लौटाते समय, भारत के राष्ट्रपति, जो सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, रियायत अनुबंध के अधीन सुरक्षित पक्षकारों के हित में निम्नलिखित की पुष्टि एवं सहमति प्रदान करें:

(क) भारत सरकार

(i) भारत सरकार, उपयुक्त एवं युक्तिसंगत शर्तों के अधीन, सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षित पक्षकारों के हित में कंपनी के रियायत अनुबंध से संबंधित सभी अधिकारों, स्वामित्व एवं हितों के हस्तांतरण (और जहाँ सुरक्षा के अंतर्गत हस्तांतरण संभव न हो, वहाँ उस पर प्रभार सृजित किए जाने) के लिए अपनी सहमति प्रदान करती है। यह सहमति भारत सरकार के कर दायित्वों, दंड, ब्याज तथा अन्य सरकारी देयों के अधीन होगी।

(ख) भारत सरकार सहमत है कि:

(i) यदि सुरक्षा न्यासी कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा हितों के आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्वयं अथवा अपने नामित प्रतिनिधि को रियायत अनुबंध के अंतर्गत कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो ऐसा सुरक्षा न्यासी अथवा उसका नामित प्रतिनिधि, हवाई अड्डे के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक पात्रता तथा भारत सरकार की राजनीतिक संवेदनशीलताओं के अधीन, कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग)

भारत सरकार सहमत है कि वह रियायत अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को देय समस्त धनराशि (रियायत अनुबंध के अनुच्छेद 13.4 के अंतर्गत देय धनराशि को छोड़कर, जिसका भुगतान सीधे कंपनी को किया जाएगा) सुरक्षा न्यासी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट हैदराबाद स्थित खाते में सीधे तथा तत्काल उपलब्ध निधियों के रूप में जमा करेगी। कंपनी एतद्द्वारा भारत सरकार को ऐसे भुगतान करने हेतु अधिकृत एवं निर्देशित करती है।

यदि सुरक्षा न्यासी अथवा उसका नामित प्रतिनिधि कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा हितों के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तो भारत सरकार सुरक्षा न्यासी के लिखित निर्देशों के अनुसार रियायत अनुबंध के अंतर्गत देय धनराशि (अनुच्छेद 13.4 के अंतर्गत कंपनी को सीधे देय धनराशि को छोड़कर) सुरक्षा न्यासी अथवा उसके आदेशानुसार सीधे भुगतान करेगी, न कि पूर्वोक्त खाते में। ऐसे भुगतान की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी तथा इस प्रकार किया गया भुगतान कंपनी को देय राशि के भुगतान संबंधी भारत सरकार के दायित्वों की पूर्ण एवं वैध पूर्ति मानी जाएगी।

(घ)

भारत सरकार सहमत है कि वह सुरक्षा के अनुसार सुरक्षा न्यासी को कंपनी का विधिवत एवं वैध अभिकर्ता मानेगी। कंपनी एतद्द्वारा सुरक्षा न्यासी को इसके लिए अधिकृत करती है तथा भारत सरकार को अपनी सहमति से अवगत कराती है।

(ङ)

भारत सरकार सहमत है कि यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है जिसके कारण भारत सरकार रियायत अनुबंध के अनुच्छेद 13.4 के अंतर्गत हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के हवाई अड्डे से संबंधित सभी अधिकारों, स्वामित्व एवं हितों का अधिग्रहण करने की अधिकारी हो जाती है, तो वह तत्काल सुरक्षा न्यासी को इसकी सूचना ("नोटिस") देगी। उक्त नोटिस में उन आधारों का उल्लेख होगा जिनके कारण भारत सरकार को ऐसे अधिकार प्राप्त हुए हैं।

(च)

भारत सरकार सहमत है कि वह सुरक्षा न्यासी को नोटिस जारी किए बिना रियायत अनुबंध को समाप्त नहीं करेगी, उसके अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन को स्थगित नहीं करेगी तथा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के हवाईअड्डे से संबंधित अधिकारों, स्वामित्व एवं हितों का अधिग्रहण नहीं करेगी।

(छ)

भारत सरकार सहमत है कि सुरक्षा न्यासी को किसी भी समय रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी कार्रवाई करने अथवा करवाने का अधिकार होगा, जो नोटिस जारी होने के कारण बनी स्थिति का समाधान करने के लिए आवश्यक हो। यदि सुरक्षा न्यासी नोटिस प्राप्त होने की तिथि से **120 दिनों** के भीतर उस कारण का समाधान कर देता है जिसके कारण नोटिस जारी किया गया था, तो भारत सरकार उस कारण के आधार पर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के हवाईअड्डे से संबंधित अधिकारों, स्वामित्व एवं हितों का अधिग्रहण नहीं करेगी।

(ज)

यह अनुबंध भारत के प्रचलित कानूनों के अनुसार शासित एवं व्याख्यायित होगा तथा रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अधीन रहेगा।

(झ)

इस अनुबंध से उत्पन्न अथवा इससे संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद को, उसके स्वरूप की परवाह किए बिना, रियायत अनुबंध के **अनुच्छेद 16** के अनुसार विवाद निवारण हेतु संदर्भित किया जाएगा। उक्त अनुच्छेद के प्रावधानों को यहाँ संदर्भ द्वारा इस अनुबंध का अभिन्न भाग माना जाएगा, मानो वे पूर्ण रूप से यहाँ उल्लिखित हों।

(ञ)

रियायत अनुबंध के **अनुच्छेद 18.13 (संप्रभु उन्मुक्ति)** के प्रावधान इस अनुबंध पर भी लागू होंगे तथा उन्हें संदर्भ द्वारा इस अनुबंध का अभिन्न भाग माना जाएगा, मानो वे पूर्ण रूप से यहाँ उल्लिखित हों।

यह अनुबंध, प्रारंभिक चरण के संबंध में ऋणदाताओं के प्रति कोई भी बकाया ऋण शेष न रहने की तिथि को, इस अनुबंध के किसी भी पक्षकार द्वारा किसी अन्य कार्रवाई के बिना स्वतः समाप्त हो जाएगा।

किसी भी परिस्थिति में इस अनुबंध के अंतर्गत भारत सरकार की सुरक्षा न्यासी, ऋणदाताओं अथवा उसके नामित प्रतिनिधि के प्रति कुल देयता, रियायत अनुबंध के अंतर्गत कंपनी के प्रति भारत सरकार के दायित्वों एवं देयताओं से अधिक अथवा उनके अतिरिक्त नहीं होगी। तथापि, इस प्रत्यक्ष अनुबंध (GOI Direct Agreement) की शर्तों के अनुसार, ऐसे दायित्व एवं देयताएँ, यथास्थिति, कंपनी के स्थान पर संबंधित सुरक्षित पक्षकारों, ऋणदाताओं अथवा उनके नामित प्रतिनिधि के प्रति देय होंगी।

यह अनुबंध वित्तीय समापन (जैसा कि वित्तपोषण समझौतों में परिभाषित है) की तिथि से प्रभावी होगा, जैसा कि वित्तपोषण समझौतों में उपबंधित है तथा जिसकी विधिवत लिखित सूचना कंपनी द्वारा भारत सरकार को दी जाएगी।

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
द्वारा : **[हस्ताक्षर]**
प्रबंध निदेशक
नाम: किरण कुमार ग्रांधी
पद: प्रबंध निदेशक

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, भारत सरकार के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि एतद्द्वारा इस अनुबंध की उपर्युक्त शर्तों को **29 नवम्बर, 2005** से स्वीकार करते हैं तथा उनसे आबद्ध होने की सहमति प्रदान करते हैं।

द्वारा : **[हस्ताक्षर]**
नाम: अजय प्रसाद
पद: सचिव (नागर विमानन)

भारत सरकार की ओर से तथा भारत के राष्ट्रपति के behalf पर, इस अनुबंध के निष्पादन की तिथि से इस अनुबंध को स्वीकार, अनुमोदित एवं सहमत किया गया।

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
10वीं मंजिल, नरीमन भवन,
नरीमन पॉइंट,
227 विनय के. शाह मार्ग,
मुंबई - 400021
(सुरक्षा न्यासी के रूप में)

द्वारा : **[हस्ताक्षर]**

निदेशक मंडल/गवर्नर्स आदि के **दिनांक 17.12.2004** के संकल्प के अनुसार विधिवत अधिकृत।

नाम: सी. टी. टोलानी

पद: उपाध्यक्ष

****